52

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 435—तीन/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18--12—2006 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 217/निग0/92—93

.....

बद्री प्रसाद पुत्र ग्याप्रसाद
निवासी ग्राम दमैरा तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया म0प्र0.

——— आवेदक

विरूद्ध

1-- ओमप्रकाश
2—सीताराम पुत्रगण रामप्यारे
निवासी ग्राम दमैरा तहसील
सेवढ़ा जिला दतिया म0प्र0

——— अनावेदकगण

श्री एन0 के0 पाण्डेय, अभिभाषक, आवेदक
पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश
(आज दिनांक 9-12-2016 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (अत्र पश्चात् संहिता) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण क्रमांक 217/निग0/92—93 में पारित आदेश दिनांक 18—12—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2-- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सेवढ़ा के समक्ष आवेदक बद्रीप्रसाद के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम खिरिया की भूमि खाता क्रमांक —27 का बटवारा उभय

पक्ष के मध्य किये जाने की मांग की गई । तहसीलदार के द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ–76/88–89 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर दिनांक 28.2.91 को बटवारा आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्व ओमप्रकाश के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को पर्याप्त साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकारण विधि एवं प्रकिया के अनुसार किया जावे। इसी से परिवेदित होकर बद्रीप्रसाद द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के साक्ष्य हेतु कई अवसर प्रतिप्रार्थीगण को प्रदान किये थे लेकिन उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण सही रूप से साक्ष्य का हक समाप्त किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर विचार नहीं किया गया और गलत ढंग से निष्कर्ष निकाला है जो विधि प्रावधानों के अनुसार सही नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय के अंश को कम करके ही मीटस् एण्ड वाउन्डस् पर बटबारा किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख का सही ढंग से अवलोकन न कर गलत निष्कर्ष निकाला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्दो का प्रकाशन एवं हस्ताक्षर न मानने का निष्कर्ष मनमाने ढंग से किया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय है। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उन्होंने निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार न्यायालय ने उभयपक्ष को पर्याप्त अवसर देकर एवं साक्ष्य लेकर संवत 2004 में हुये वाहमी बटवारे के अनुसार कब्जे मे होना पाते हुये विधिवत बटवारा किया है, अनावेदकगण ने पर्याप्त अवसर देने पर भी साक्ष्य प्रस्तुत नही की तथा स्वत्व का विवाद भी व वाहमी बटवारा न होना बताया अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक को 3 माह का अवसर सिविल न्यायालय हेतु प्रदान किया जो किसी भी पक्षकार द्वारा सिविल वाद नहीं किया गया, तथा अनावेदकगण ने वाहमी बटवारे के विरूद्व कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जवकि आवेदक ने साक्ष्य प्रस्तुत कर वाहमी वटवारा होना तथा संबत 2004 से बटवारे में प्राप्त भूमि पर आधिपत्य होना सिद्व किया है तथा वाहमी बटवारे का जो लेख है उस पर अनावेदकगण के पिता द्वारा हस्ताक्षर करना भी सिद्व किया है। अधीनस्थ अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा 1993 रेवन्यू निर्णय 141 एवं 1998 रेवन्यू निर्णय के आधार पर निष्कर्ष दिये है जबकि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत 89 रेवन्यू निर्णय 393 सुन्दरबाई बनाम सोदरा बाई एवं 1996 रेवन्यू निर्णय 33 भुवन आदि बनाम नागू में अवधारित किया है कि पक्षकारों के मध्य आपसी मौखिक विभाजन स्वतंत्र एवं पृथक कृषि करते हुये कब्जा साक्ष्य द्वारा स्थापित तथा 30–35 वर्ष तक अविभिन्न रहा इतनी दीर्घाअवधि व्यतीत होने के पश्चात विक्षुब्ध नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के दृष्टांत से मैं सहमत हूँ । प्रकरण में संबत 2004 से यानी 43–44 वर्षो से कब्जा होना सिद्व किया है, ऐसी दशा में अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 18--12–06 एवं अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के आदेश दिनांक 22.4.93 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पर्याप्त आधार अनावेदक को साक्ष्य हेतु अवसर दिये गये व अनावेदकगण उपस्थित रहकर प्रकरण में भाग लिया है तथा तहसील द्वारा विधिवत साक्ष्य लेकर व मौखिक बटवारा साक्ष्य से समर्थित होने व उसी समय से कब्जा होना

सिद्व किया है जो उचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप तहसीलदार सेवढ़ा का प्रकरण कमांक 8/अ–27/88–89 में पारित आदेश दिनांक 28–2–91 उचित पाये जाने से यथावत रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर